



①

निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011
Email - commissionersec@gmail.com
Ph.No. - 0755-2555527

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

-0-

क्रमांक-एफ-35/PN-01/2021/तीन/17
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 04/01/2021

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.)
जिला-समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय : पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2021 हेतु प्रक्रिया एवं मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम।

Subject : Programme and Process of Annual revision 2021 of Photo Electoral Roll for Panchayats.

—00—

1. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वार्षिक मतदाताओं की फोटोयुक्त सूची हिन्दी में देवनागरी लिपि में प्रारूप-1 में तैयार किये जाने के प्रावधान है। म.प्र.पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-14 में नवीन संशोधन पश्चात् अब ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को प्रत्येक वर्ष के 01 जनवरी की स्थिति में पुनरीक्षण किया जाने का प्रावधान है।
2. मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2021 का कार्यक्रम (परिशिष्ट-एक पर) संलग्न है। पुनरीक्षण सम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया अधोलिखित कड़िकाओं में वर्णित है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी और अन्य सभी सम्बंधितों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल को राज्य स्तरीय एजेंसी (एस.एल.ए.) नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। SLA द्वारा आपके जिले के लिए वेण्डर का चयन किया जाकर आपको सूचित किया जा चुका है। वेण्डर द्वारा पूर्व में ही जिले में आवश्यक स्टाफ और कम्प्यूटर इत्यादि की व्यवस्था की जा चुकी है। कृपया वेण्डर द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर लें और पर्याप्त समय पूर्व यथाआवश्यक सुधार भी कर लें।
4. दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में प्रत्येक ग्राम पंचायत की दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में तैयार फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना है।
5. समस्त ग्राम पंचायतों की दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार है। अब दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया 03 चरणों में सम्पन्न की जायेगी।
 - प्रथम चरण -कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन। कंट्रोल टेबल में संशोधन होने पर संशोधन अनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की कार्यवाही।
 - द्वितीय चरण -विधानसभा की मतदाता सूची में बड़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित ग्राम पंचायत में जोड़ा जायेगा, विलोपित मतदाताओं को हटाया जायेगा और संशोधित मतदाताओं की जानकारी को संशोधित किया जाकर एकीकरण उपरांत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
 - तृतीय चरण में दावे आपत्ति प्राप्त की जाकर उनका निराकरण किया जाकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

प्रथम चरण

कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन

6. वेण्डर द्वारा कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट (सैम्पल संलग्न-1 अनुसार) प्रदाय की जायेगी। चैकलिस्ट में विकासखण्ड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड, ग्राम और मतदान केन्द्रों का विवरण अंकित होगा।
7. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन दर्ज करना होगा। यदि वेरिफिकेशन नहीं किया जायेगा तो ERMS में आगामी कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी।
8. वर्ष 2017, 2018 और 2019 एवं 2020 में पुनरीक्षण की कार्यवाही में यह देखने में आया है कि कतिपय पंचायतें अथवा उनके कुछ भाग नगरपालिका में शामिल हो गये हैं, इसके बावजूद कंट्रोल टेबल से उनके नाम नहीं हटाये गये हैं और अभी भी उक्त क्षेत्र पंचायतों के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं।
9. इस सम्बंध में उपयुक्त कार्यवाही किये जाने के लिए वेण्डर से जनपद पंचायतवार ग्राम पंचायतों की सूची मतदाताओं की संख्या के घटते क्रम में प्राप्त की जाये। सूची में ग्राम पंचायत का नाम और उसके अंतर्गत मतदाताओं की संख्या दर्ज होगी। यह 0 या अन्य कुछ भी हो सकती है।
10. उक्त सूची का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाये। यदि कोई ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से नगरपालिका में शामिल हो गई है तो उसे कंट्रोल टेबल से मतदाताओं सहित हटाया जाये। मतदाताओं को डिलीट करते समय यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त ग्राम पंचायत के मतदाता पूर्व वर्ष में नगरपालिका क्षेत्र में शिफ्ट किये जा चुके हैं और उनके नाम डुप्लिकेट के तौर पर दर्ज है। यदि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में शिफ्ट नहीं किये गये हैं तो उन्हें डिलीट करने के स्थान पर शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही सम्बंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कराई जाये।
11. यदि किसी पंचायत का आंशिक भाग नगरपालिका में शामिल हुआ है तो वेण्डर से उक्त पंचायत की वार्डवार सूची प्राप्त की जाये। जो वार्ड नगरपालिका में शामिल हो गये हैं उन्हें कंट्रोल टेबल से मतदाताओं सहित हटाया जाये। मतदाताओं को डिलीट करते समय यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त ग्राम पंचायत वार्ड के मतदाता पूर्व वर्ष में नगरपालिका क्षेत्र में शिफ्ट किये जा चुके हैं और उनके नाम डुप्लिकेट के तौर पर दर्ज है। यदि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में शिफ्ट नहीं किये गये हैं तो उन्हें डिलीट करने के स्थान पर शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही सम्बंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कराई जाये।
12. यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन नहीं किया जाना है तो कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सत्यापन अनुसार वेण्डर द्वारा वेरिफिकेशन की कार्यवाही की जा सकेगी, लेकिन यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन किया जाना है तो आवश्यकतानुसार संशोधन ERMS में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से ही दर्ज किया जा सकेगा।
13. यदि वर्तमान वर्ष में पंचायतों और नगरपालिकाओं के सम्बंध में परिसीमन और वार्ड विभाजन के कारण कंट्रोल टेबल में संशोधन किया गया है तो संशोधन अनुसार आधार पत्रक तैयार कर मार्किंग को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जाये और तदनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही की जाये।
14. कंट्रोल टेबल के सम्बंध में उपरोक्त कंडिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के उपरांत ही विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जनरेट की जाये। यदि कंट्रोल टेबल के अपडेशन के पूर्व उक्त सूचियाँ जनरेट की जायेंगी तो सूचियों में त्रुटियों की सम्भावना रह सकती है।

द्वितीय चरण
विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर
ग्राम पंचायत की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना

15. इस चरण में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जायेगी :-

- i. शिपिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जनरेट करना.
- ii. शिपिंग सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2021) में बढ़े और नये जोड़े हुए मतदाताओं को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2020) में सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड में शिफ्ट करना.
- iii. विलोपन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2021) में विलोपित मतदाताओं को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2020) के सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड से हटाना.
- iv. संशोधन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2021) में मतदाताओं की संशोधित जानकारी को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2020) में यथासंशोधित करना.
- v. शिपिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही उपरांत एकीकरण कर ERMS (Electoral Roll Management System) से फोटोयुक्त एवं फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करना।
- vi. फोटोरहित जनरेटेड प्रारूप मतदाता सूची को डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर अपलोड करना।
- vii. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची को प्रिन्ट कर विहित स्थानों पर प्रकाशित करना।
- viii. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की जानकारी और प्रचार प्रसार, जन जागरूकता हेतु जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन।
- ix. प्रारूप मतदाता सूची को प्रकाशित किये जाने का प्रमाणपत्र ERMS पर अपलोड करना।

नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करना

16. वेण्डर द्वारा शिपिंग सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए मार्किंग सूची) (सेम्पल संलग्न-2 अनुसार) प्रदाय की जायेगी। इस सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं की जानकारी अनुभागवार होगी।
17. शिपिंग सूची में मतदाता के नाम के आगे वार्ड नम्बर, पंचायत क्रमांक एवं पंचायत का नाम मार्किंग करने के लिए रिक्त खाने बने हुए हैं।
18. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, शिपिंग सूची के खाने में वार्ड नम्बर, पंचायत का क्रमांक व नाम दर्ज करेंगा।
19. शिपिंग सूची में दर्ज शतप्रतिशत समस्त मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
20. शिपिंग सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में शिपिंग की प्रविष्टि की जायेगी।
21. शिपिंग सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं को पंचायत अथवा नगरपालिका में शिफ्ट करने के लिए निर्धारित खाने में मार्किंग होना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता शिपिंग की मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को शिपिंग सूची में मार्किंग की कार्यवाही सावधानी पूर्वक करवाना चाहिए।

**विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को
पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन**

22. वेण्डर द्वारा विलोपन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) (सेम्पल संलग्न-3 अनुसार) प्रदाय की जायेगी। विलोपन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम पंचायत की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज हैं।
23. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे विलोपन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली खाना बना हुआ है।
24. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी विलोपित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में विलोपित मतदाता की जानकारी का मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से नहीं होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।
25. इसका आशय यह है कि विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन करते समय क्रॉस का निशान केवल उस स्थिति में लगाया जायेगा जबकि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता के सम्बंध में ग्राम पंचायत की मतदाता सूची की जानकारी का मिलान नहीं होता हो। अर्थात् विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता कोई और हो और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में विलोपन के सत्यापन के लिए दी गई जानकारी में कोई और मतदाता हो।
26. यह स्पष्ट है कि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित समस्त मतदाताओं को अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से हटाया जायेगा। विलोपन का वेरिफिकेशन करते समय प्राधिकृत कर्मचारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस आधार पर नाम बनाये रखने का निर्णय नहीं ले सकते कि विधानसभा की मतदाता सूची से नाम गलत तरीके से हटाया गया है। ऐसे सभी मामले दावे आपत्ति के समय विचारण में लिये जायेंगे।
27. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
28. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में शतप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं को हटाने की प्रविष्टि की जायेगी।
29. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

**विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी
पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन**

30. वेण्डर द्वारा संशोधन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) (सेम्पल संलग्न-4 अनुसार) प्रदाय की जायेगी। संशोधन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाताओं की जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम पंचायत की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज हैं।

31. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे संशोधन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली खाना बना हुआ है।
32. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी संशोधित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाता की जानकारी का मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से नहीं होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।
33. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
34. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शतप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं की जानकारी को संशोधित करने की प्रविष्टि की जायेगी।
35. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

शिपिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण

36. शिपिंग सूची विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर जनरेट की जायेगी। यह सम्भव है कि एक शिपिंग सूची में दर्ज कुछ नाम पंचायत में और कुछ नाम नगरपालिका में शिपट किये जाना हों। ऐसी कतिपय स्थितियों में विवाद की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है।
37. यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, तो शिपिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
38. यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में नहीं आते है, तो शिपिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।
39. विवाद के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर एवं सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सम्बंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक कर यह तय करेंगे कि किस मतदाता को ग्राम पंचायत में शिपट करना है और किस मतदाता को नगरपालिका के वार्ड में शिपट करना है। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिपिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।
40. कुछ विधानसभा क्षेत्र दो-दो जिलों में भी स्थित है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-78 और 82 सीधी-सिंगरौली जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-167 आगरमालवा-शाजापुर जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-193 झाबुआ-अलीराजपुर जिलों में और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-23 शिवपुरी-दतिया जिलों में आता है। इन जिलों में यदि कोई शिपिंग सम्बंधी विवाद होता है तो विवाद का निराकरण क्रमशः सीधी, आगरमालवा, झाबुआ और शिवपुरी के जिला कलेक्टर द्वारा सम्बंधित अन्य जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से बैठक कर किया जायेगा। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिपिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करना

41. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग के लिए प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम एक प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतदाताओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक प्राधिकृत कर्मचारी भी नियुक्त किये जा सकते हैं।
42. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की प्रविष्टि ERMS में की जाकर एकीकरण उपरांत फोटोयुक्त और फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जनरेट की जायेगी। यदि शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग से एक भी मतदाता छूट जायेगा तो ERMS प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं करेगा।
43. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की जानकारी ERMS में सही सही किये जाने की चैकिंग रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सावधानीपूर्वक चैकलिस्ट से कर लेना चाहिए। वेण्डर द्वारा प्रविष्टि में की गई त्रुटि को नज़र अंदाज़ करने से मतदाता सूची दूषित हो सकती है।
44. ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से उसकी फोटोरहित प्रति को वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। डिजिटली साईन्ड प्रारूप मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड होने की स्थिति में ही यह माना जायेगा कि प्रारूप मतदाता सूची जनरेट कर ली गई है। चूंकि यह कार्य निर्धारित समय पर होना है, अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करने और उसे वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही पूर्ण सचेत रहकर नियत समय पर करना होगी।
45. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रिन्ट कर मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-10(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए प्रकाशित किया जायेगा। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संलग्न-5 में निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र तैयार कर ERMS में स्कैन कर अपलोड करेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से भी यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।
46. प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के तत्काल उपरांत स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाये। जिला स्तर पर कलेक्टर और जनपद पंचायत स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाये। पंचायत की जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में जिला पंचायत के सभी सदस्यों के साथ साथ जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शामिल किया जाये। जनपद पंचायत स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में जनपद पंचायत के सभी सदस्यों के साथ साथ ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी शामिल किया जाये। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची, जाँच सूची, डुप्लिकेट सूची आदि सहित दावे आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया जाये।

तृतीय चरण

प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना,
उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना

47. दावा आपत्ति केन्द्रों पर, प्रारूप मतदाता सूची के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे एवं आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। आयोग द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी विहित आवेदन पत्रों के प्रारूप में परिवर्तन कर नये प्रारूप ER-1 (परिवर्धन), ER-2 (विलोपन), ER-3 (संशोधन) जारी किये हैं। उक्त सभी आवेदन पत्रों की एक समेकित बुकलेट मय मार्गदर्शिका तैयार की गई है, उक्त बुकलेट प्राधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
48. विगत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में विधानसभा की मतदाता सूचियों में गम्भीर त्रुटियाँ होने के मामले समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त क्षेत्रों में विशेष जाँच कर मतदाता सूचियों को शुद्ध करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन यदि किसी

क्षेत्र में मतदाता सूची की जाँच उपरांत कतिपय मतदाताओं के नाम विलोपित करने का निर्णय (राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार दावे आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक) लिया जाता है तो उस निर्णय के अनुसार सम्बंधित पंचायत की मतदाता सूची से भी उक्त मतदाताओं के नाम सीधे सीधे विलोपित कर दिये जाये।

49. मतदाता सूची के सम्बंध में प्राप्त दावे आपत्ति के आवेदन पत्रों पर राज्य स्तरीय एजेन्सी द्वारा प्रदाय बारकोड स्टीकर चस्पा किया जाये। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे आपत्ति का निराकरण डिजीटल हस्ताक्षर कर किया जायेगा।
50. दावे आपत्तियों वाले मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात् ग्राम पंचायतों की अनुपूरक सूची तैयार कर दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी।
51. प्रारूप मतदाता सूची की भांति अंतिम मतदाता सूची भी ERMS से जनरेट की जायेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाइट पर उसकी फोटोरहित प्रति अपलोड की जायेगी और फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रिन्ट निकालकर नियत स्थानों पर प्रकाशित किया जायेगा। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में निर्धारित प्रारूप संलग्न-6 में मय प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को यह प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से उक्त प्रमाणपत्र अनिवार्य तौर से प्राप्त कर लेना चाहिए।

प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की प्रिंटिंग

52. आम अथवा उप चुनाव नहीं होने की स्थिति में प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निम्नानुसार संख्या में प्रतियाँ प्रिन्ट की जायेगी :-

मतदाता सूची	प्रिन्ट की संख्या	उपयोग
फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची	04 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय. 3. सम्बंधित जनपद पंचायत कार्यालय पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए एवं एक अतिरिक्त कार्यालय प्रति
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	04 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय. 3. सम्बंधित जनपद पंचायत कार्यालय. 4. सम्बंधित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के लिए.

53. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिन क्षेत्रों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जायेगा, वहाँ पर फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची की निम्नानुसार संख्या में प्रतियाँ प्रिन्ट की जायेगी :-

मतदाता सूची	प्रिन्ट की संख्या	उपयोग
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	1. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रति मतदान केन्द्र 02 अतिरिक्त प्रतियाँ (डबल साईड). 2. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के लिए 02 (डबल साईड) प्रतियाँ।	1. हर मतदान केन्द्र पर मतदान दल को उपलब्ध कराने के लिए 02 प्रतियाँ (डबल साईड). 2. रिटर्निंग ऑफिसर एक प्रति अपने लिये रखेंगे और एक प्रति को विभाजित कर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार उपलब्ध करायेंगे।

54. प्रारूप मतदाता एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या से अधिक प्रतियाँ किसी भी स्थिति में मुद्रित न की जाये। उक्त प्रतियाँ डबल साईड प्रिन्ट की जायें। आयोग की लिखित अनुमति के बगैर निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में मतदाता सूची की प्रतियाँ मुद्रित करने पर होने वाले व्यय के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

55. मतदाता सूची की सॉफ्ट कापी सी.डी. में तैयार की जायेगी। जिले के सभी विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों की एक सी.डी. रहेगी। सी.डी.में मतदाता सूची डिजिटल हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित की जायेगी। ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों उनसे सम्बंधित क्षेत्रों की मतदाता सूची की एक सी.डी. निःशुल्क प्रदाय की जाये।
56. अन्य रुपये 100/- प्रति सी.डी. का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। रुपये 2/- प्रति पृष्ठ के हिसाब से अंतिम मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय की जायेगी।
57. मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के सुचारु संचालन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ समयसीमा में सुनिश्चित करवाना होंगी :-
- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी आदि की नियुक्ति और समयसीमा में प्रशिक्षण।
 - सभी सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा जारी निर्देश, परिपत्र एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
 - मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की डेशबोर्ड से ऑनलाईन नियमित मॉनिटरिंग करना और समयसीमा में सभी कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करवाना।
 - कंट्रोल टेबल के संशोधन और अपडेशन के सम्बंध में समन्वय करना।
 - शिफ्टिंग सम्बंधी विवादों के निराकरण के लिए यथासमय बैठक आयोजित कराना।
 - प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची को नियत समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड कराना।
 - स्टेंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन कराना।
 - वेण्डर से समन्वय कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की कठिनाईयों को समय सीमा में निराकरण कराना।
 - प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या में समयसीमा में प्रिंटिंग सुनिश्चित करना।
58. मतदाता सूची तैयार किये जाने की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के सम्बंध में आयोग के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ-52-NN-01/2018/पॉच/234, दिनांक 07.03.2018 में उल्लेखित निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये और निर्देशानुसार की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत कराये।
59. गणमान्य नागरिक, वरिष्ठजन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न जाये, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।
60. आयोग द्वारा जारी पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने हेतु कार्यक्रम (संलग्न परिशिष्ट-एक) अनुसार पंचायतों की मतदाता सूची का दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में वार्षिक पुनरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।
61. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण हेतु जारी गाईड लाईन का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
62. आयोग के पत्र क्रमांक -एफ-35/PN-01/2020/तीन/240, दिनांक 27/06/2020 द्वारा पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2020, दावा आपत्ति केन्द्र पर दावे आपत्ति प्राप्त करने की अवधि के दौरान जारी निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
63. पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति तत्काल ई-मेल द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।
- संलग्न - उपरोक्तानुसार।

5/11/2021
(दुर्ग विजय सिंह)
सचिव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पृष्ठा. क्रमांक-एफ-35/PN-01/2021/तीन/18
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 07/01/2021

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
8. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस भोपाल।
9. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
10. संभागीय आयुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
11. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु अग्रेषित।
13. आयुक्त-सह-नियंत्रक/उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, म.प्र. भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं सीवा की ओर अग्रेषित।
14. उप संचालक (बजट) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ/योग्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
16. स्टोर (स्थापना/निर्वाचन) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
17. आई.टी. शाखा प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग।
18. गार्ड फाईल।


(अजीजा सरशार जफर)

उप सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग



Control Table Checklist of Rural Bodies

नामः : हरदा

विकासखण्ड का नाम : हरदा

10

[illegible]

विधानसभा : 135 - हरदा

शिविर सूची

भाग संख्या : 1

शिविर के लिए मार्किंग

11

शिविर-2

अनुभाग : 1-साव्याखेडी, ग्राम-साव्याखेडी, 461331

मतदाता क्रमंक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	क्षेत्र	U R	वार्ड नंबर	पंचायत क्र व नाम	भाग संख्या	मार्किंग
83	5	गोपाल भाबरे	पिता भीमसिंह	M	22	WMQ1034875							
84	5	सुनीता	पति राकेश	F	20	WMQ1110337							
166	12	रोशनी	पिता बुद्धा	F	23	WMQ1034883							
167	12	सुनील	पिता बुद्धा	M	19	WMQ1051051							
212	16	राजेश	पिता कलसुसिंह	M	25	WMQ1034867							
323	35	रजनी	पिता रामभरोस	F	20	WMQ1100619							
385	43	ममता	पति राकेश	F	19	WMQ1107556							
435	48	संगीता	पति राजेश	F	32	WMQ1051069							
439	48	संगीता	पति संदिप	F	24	WMQ1051077							
444	49	आनंद	पिता हरि	M	19	WMQ1100627							

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची
विलोपन - वेरिफिकेशन सूची

पृष्ठ-3

जिला : हरदा

ग्राम पंचायत : सोनखेडी

विकासखण्ड : हरदा

विधानसभा में विवरण				पंचायत में विवरण			
निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	मतदाता क्र. निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	सत्यापन मार्कि	
ईपिक संख्या	लिंग आयु विलोपन का कारण		ईपिक संख्या	लिंग आयु गृह संख्या		(√/X)	
गोवर्धन	पिता जगदीश		1143 गोवर्धन	पिता जगदीश		☐	
WMQ5873773	M 30 Missing		WMQ5873773	M 29 97			
निशा	पति गोवर्धन		1145 निशा	पति गोवर्धन		☐	
WMQ0217562	F 27 Missing		WMQ0217562	F 26 97			

कुल संख्या :

2

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची
संशोधन - वेरिफिकेशन सूची

जिला : हरदा

वार्ड संख्या : 1, भाग संख्या :

नगर पालिका परिषद - हरदा

विधानसभा में विवरण				नगरीय निकाय में विवरण				
निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो		मतदाता क्र. निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	फोटो	सत्यापन मार्क	
ईपिक संख्या	लिंग आयु गृह संख्या			ईपिक संख्या	लिंग आयु गृह संख्या		(√/X)	
अंगूरी	पति बद्रीप्रसाद			84 अंगूरी	पति बद्रीप्रसाद		☐	
MP/28/227/042086	F 49			MP/28/227/042086	F 48 14			
विमला	पति मनोरीलाल			87 विमला	पति मनोरीलाल		☐	
MP/28/227/042087	F 56			MP/28/227/042087	F 55 16			
सावित्री	पति विजय			93 सावित्री	पति विजय		☐	
MP/28/227/042268	F 49			MP/28/227/042268	F 48 17			
सत्यनारायण	पिता भीकू			292 सत्यनारायण	पिता भीकू		☐	
MP/28/227/042137	M 56			MP/28/227/042137	M 55 71			
प्रभा	पति बालाराम			498 प्रभा	पति बालाराम		☐	
MP/28/227/042338	F 51			MP/28/227/042338	F 50 125			
अशोक	पिता मुख्तियार			581 अशोक	पिता मुख्तियार		☐	
BYS4680369	M 51			BYS4680369	M 50 146			
चंद्रावती	पति अशोक			582 चंद्रावती	पति अशोक		☐	
BYS4680344	F 46			BYS4680344	F 45 146			
अरविन्द	पिता तुलसीराम			624 अरविन्द	पिता तुलसीराम		☐	
WMQ0789255	M 22			WMQ0789255	M 21 150			
जगदीश	पिता किसन			733 जगदीश	पिता किसन		☐	
BYS4660791	M 49			BYS4660791	M 48 177			
पार्वती	पति जगदीश			734 पार्वती	पति जगदीश		☐	
BYS4457354	F 44			BYS4457354	F 43 177			

कुल संख्या :

10



(संलग्न-5)

प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का
प्रमाण-पत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 नियम 10 के तहत विकासखण्ड.....के अंतर्गत आने वाली ग्रा पंचायतों के लिए तारीख 01 जनवरी 2021 के सन्दर्भ में, फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक..... को किया गया है।

तारीख.....

स्थान.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(संलग्न-6)

अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाण-पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 व के तहत विकासखण्ड.....के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के लिए तारीख 01 जनवरी 2021 के सन्दर्भ में, फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक.....को किया गया है।

तारीख.....

स्थान.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी



हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011

-0-

भोपाल, दिनांक: 04/01/2021

क्रमांक-एफ-35/PN-01/2021/तीन/16 :: मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा पंचायतों के निर्वाचन हेतु 01 जनवरी 2021 की संदर्भ तारीख के आधार पर पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्यक्रम निर्धारित करता है:-

क्रमांक	कार्यवाही	उत्तरदायित्व	समयसीमा (अंतिम तारीख)
1.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति।	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी	05 जनवरी 2021
2.	प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति, दावे आपत्ति केन्द्रों का निर्धारण	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	06 जनवरी 2021
प्रथम चरण (कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन, अपडेशन और मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण)			
3.	कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट की प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।	वेण्डर	05 जनवरी 2021
4.	कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट की प्रति मतदान केन्द्रों के परीक्षण और युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	07 जनवरी 2021
5.	मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपना।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	09 जनवरी 2021
6.	मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उन्हें अंतिम करना और कंट्रोल टेबल में यथासंशोधित करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	11 जनवरी 2021
7.	कंट्रोल टेबल का परीक्षण करना और संशोधन होने पर निर्देशानुसार यथोचित हस्ताक्षर करना एवं कंट्रोल टेबल का डिजिटल हस्ताक्षर से वेरिफिकेशन।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	15 जनवरी 2021
द्वितीय चरण (प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना)			
8.	शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची ERMS से जेनरेट कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना।	वेण्डर	20 जनवरी 2021
9.	शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची मार्किंग हेतु प्राधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध कराना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	21 जनवरी 2021
10.	शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मार्किंग कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।	प्राधिकृत कर्मचारी	23 जनवरी 2021
11.	शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा की गई मार्किंग की रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जाँच एवं वेरिफिकेशन।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	27 जनवरी 2021
12.	मार्कड शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची ERMS में प्रविष्टि हेतु वेण्डर को सौंपना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	27 जनवरी 2021
13.	शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही ERMS के माध्यम से पूर्ण कर चैकलिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।	वेण्डर	29 जनवरी 2021

क्रमांक	कार्यवाही	उत्तरदायित्व	समयसीमा (अंतिम तारीख)
14.	चैकलिस्ट की जाँच करना और जाँच उपरांत परिलक्षित त्रुटियों को सुधारने के लिए चैकलिस्ट वेण्डर को वापस करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	30 जनवरी 2021
15.	त्रुटियों को सुधार कर एकीकरण कर फोटोरहित और फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेण्डर	02 फरवरी 2021
16.	फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	02 फरवरी 2021
17.	फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदाय करना।	वेण्डर	06 फरवरी 2021
18.	फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	08 फरवरी 2021
19.	प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किए जाने संबंधी प्रमाणपत्र स्कैन कर अपलोड करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	09 फरवरी 2021
20.	स्टेण्डिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन।	कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व/तहसीलदार)	08 एवं 09 फरवरी 2021
तृतीय चरण (अंतिम मतदाता सूची तैयार करना)			
21.	दावा आपत्ति केन्द्र पर दावे आपत्ति प्राप्त करने की अवधि।	प्राधिकृत कर्मचारी	08 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 के अपराह्न 03:00 बजे तक
22.	दावा आपत्ति आवेदन पत्रों के निराकरण की अंतिम तिथि।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	20 फरवरी 2021
23.	निराकृत दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ERMS में प्रविष्टि की अंतिम तिथि।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	23 फरवरी 2021
24.	दावे आपत्ति की चैकलिस्ट तैयार करना	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	23 फरवरी 2021
25.	चैकलिस्ट की जाँच कर त्रुटि सुधार उपरांत वेण्डर को वापस करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	24 फरवरी 2021
26.	फोटोयुक्त और फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची जेनरेट करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेण्डर	26 फरवरी 2021
27.	फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची को वेबसाइट पर अपलोड करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	27 फरवरी 2021
28.	फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची को मुद्रित कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना।	वेण्डर	02 मार्च 2021
29.	फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का ग्राम पंचायत तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	03 मार्च 2021
30.	अंतिम मतदाता सूची की फोटोरहित सी.डी. विक्रय के लिए उपलब्ध कराना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	03 मार्च 2021
31.	फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाणपत्र स्कैन कर अपलोड करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	04 मार्च 2021

51 - 1.6 4.1.2021
(दुर्ग विजय सिंह)

सचिव

म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग

51